सं. 4/3/2017-स्था.(वेतन-I)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक: 26 अक्तूबर, 2018

इस विषय पर पूर्व कार्यालय ज्ञापनों की सूची
व्यय विभाग के दिनांक 02.02.1966 का का.ज्ञा. सं. 2(78)-ई-III(ए)63
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 04.11.1993 के का.ज्ञा. सं. 4/7/92-स्था. (वेतन-1)

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- वेतन-वर्धन (स्टेपिंग-अप) के संबंध में समेकित दिशा-निर्देश।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वरिष्ठ का वेतन बढ़ाने (स्टेपिंग-अप) की अनुमति देने के लिए मूल नियम 22 (I) (क) (1) के प्रावधानों के लागू किए जाने के कारण अपने से कनिष्ठ अधिकारियों की अपेक्षा वरिष्ठ अधिकारियों को मिल रहे कम वेतन से संबंधित विसंगति के मुद्दे पर विचार किया गया है ताकि हाशिये पर उल्लिखित विभिन्न कार्यालय ज्ञापनों में व्याप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार उनका वेतन कनिष्ठ अधिकारियों के समतुल्य लाया जा सके। केंद्रीय सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 [संक्षेप में सीसीएस (आरपी) नियमावली, 2016] के प्रावधानों के मद्देनजर वेतन बढ़ाने (स्टेपिंग-अप) से संबंधित दिशा-निर्देशों को एक स्थान पर समेकित करने की आवश्यकता महसूस की गई है क्योंकि ऐसे मुद्दों पर इस विभाग में प्रायः पत्र प्राप्त हो रहे हैं।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति निम्नलिखित निर्णय लेते हैं:

(i) दिनांक 01-01-2016 को अथवा उसके पश्चात् किसी उच्च पद पर पदोन्नत अथवा नियुक्त किए गए किसी सरकारी सेवक द्वारा उस पद पर निचले ग्रेड में उससे कनिष्ठ किसी अन्य सरकारी सेवक को और तत्पश्चात् किसी अन्य समतुल्य पद पर पदोन्नति अथवा नियुक्ति होने पर मिल रहे वेतन से कम वेतन मिलने पर होने वाली विसंगति को दूर करने के लिए उच्च पद पर वरिष्ठ सरकारी सेवक का वेतन उस उच्च पद पर कनिष्ठ सरकारी सेवक के लिए यथानिर्धारित वेतन के बराबर राशि तक बढ़ाया जाना चाहिए। यह वृद्धि कनिष्ठ सरकारी सेवक की पदोन्नति अथवा नियुक्ति की तारीख से की जाएगी और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, नामतः

(क) कनिष्ठ और वरिष्ठ दोनों प्रकार के सरकारी सेवक एक ही संवर्ग से संबंधित होने चाहिए और जिस पद पर उन्हें पदोन्नत किया गया है उसी संवर्ग में समान होने चाहिए;

(ख) निचले और उच्च पद के वेतन मैट्रिक्स में लेवल जिन पर वे वेतन के हकदार हैं, समतुल्य होने चाहिए;

(ग) यह विसंगति केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के नियम 13 के साथ पठित मूल नियम 22 (I) (क) (1) के प्रावधानों को लागू किए जाने का सीधा परिणाम है। उदाहरण के लिए, यदि कनिष्ठ अधिकारी को मौजूदा वेतन ढांचे में उसे दी गई किसी अग्रिम वेतन वृद्धि के कारण वरिष्ठ अधिकारी से अधिक वेतन मिल रहा था, तो वरिष्ठ अधिकारी के वेतन को बढ़ाने के लिए इस उप-नियम के प्रावधानों को लागू नहीं किया जाना चाहिए।

(ii) खण्ड (i) के अनुसार वरिष्ठ अधिकारी के वेतन के पुनर्नियतन से संबंधित आदेश मूल नियम 27 के अंतर्गत जारी किया जाएगा तथा वरिष्ठ अधिकारी उसके द्वारा आवश्यक अर्हक सेवा पूरी करने पर वेतन के पुनर्नियतन की तारीख से अगली वेतन वृद्धि का हकदार होगा।

3. निम्नलिखित उदाहरण/मामले जिनमें वरिष्ठ, कनिष्ठों से अधिक वेतन पाते हैं, विसंगति नहीं है, और इसलिए, ऐसी स्थितियों में वेतन में वृद्धि मान्य नहीं होगीः

(क) ऐसी स्थिति जब कोई वरिष्ठ अधिकारी असाधारण अवकाश लेता है जिसके परिणामस्वरूप निचले पद में उसकी अगली वेतनवृद्धि मुल्तवी कर दी जाती है और तत्पश्चात् उसे निचले ग्रेड में अपने से कनिष्ठ अधिकारी से कम वेतन मिलने लगता है। इसलिए, वह पदोन्नति पर वेतन समानता का दावा नहीं कर सकता भले ही उसे उच्च ग्रेड में उसके कनिष्ठ/कनिष्ठों से पहले पदोन्नत किया गया हो;

(ख) यदि कोई वरिष्ठ अधिकारी पदोन्नति त्याग देता है/इंकार करता है जिसके परिणामस्वरूप उसके कनिष्ठ की उससे पूर्व उच्च पद पर पदोन्नति/नियुक्ति हो जाती है और कनिष्ठ वरिष्ठ से अधिक वेतन पाता है;

(ग) यदि वरिष्ठ प्रतिनियुक्ति पर होता है जबकि कनिष्ठ संवर्ग में तदर्थ पदोन्नति प्राप्त करता है तो वरिष्ठ की तुलना में उच्च पद में ऐसी तदर्थ पदोन्नति के उपरान्त तदर्थ/कार्यवाहक, और/अथवा स्थायी पदोन्नति के कारण कनिष्ठ को मिलने वाला बढ़ा हुआ वेतन सही मायने में विसंगति नहीं है।

(घ) यदि किन्ही कारणों से कोई वरिष्ठ अधिकारी कनिष्ठ अधिकारी के बाद उच्च पद पर पहुंचता है जिसके कारण उसे कनिष्ठ से कम वेतन मिलने लगता है। ऐसे मामलों में वरिष्ठ अधिकारी कनिष्ठ अधिकारी के समतुल्य वेतन बढ़ाए जाने का दावा नहीं कर सकता है।

(ड.) यदि कोई वरिष्ठ अधिकारी निचले पद पर ही कनिष्ठ अधिकारी के बाद नियुक्त किया जाता है जिसके कारण उसे कनिष्ठ अधिकारी से कम वेतन मिलता है तो ऐसे मामलों में भी वरिष्ठ अधिकारी उच्च पद पर वेतन समानता का दावा नहीं कर सकता यदि उसे अपने कनिष्ठ अधिकारी से कम वेतन मिलता है भले ही उसे उच्च पद पर पहले पदोन्नत किया गया हो।

(च) यदि किसी कर्मचारी को निचले पद से उच्च पद पर पदोन्नत किया जाता है तो उसका वेतन केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के नियम 13 के साथ पठित मूल नियम 22 (I) (क) (1) के अंतर्गत निचले पद पर उसको मिलने वाले वेतन के संदर्भ में नियत किया जाता है और निचले ग्रेड में उसकी लंबी सेवावधि के कारण उसका वेतन उसी ग्रेड में सीधे भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए किसी वरिष्ठ कार्मिक से उच्च स्तर पर नियुक्त किया जा सकता है और जिसका वेतन अलग-अलग नियमों के अंतर्गत नियत किया जाता है। उदाहरण के लिए, सहायक अनुभाग अधिकारी (एएसओ) के पद पर पदोन्नत किसी वरिष्ठ सचिवालय सहायक (एसएसए) का वेतन वरिष्ठ सचिवालय सहायक के पद पर मिलने वाले वेतन के संदर्भ में मूल नियम 22 (I) (क) (1) के अंतर्गत नियत किया जाता है जबकि सहायक अनुभाग अधिकारी (सीधी भर्ती) का वेतन सहायक अधिकारी पर लागू होने वाले न्यूनतम वेतन अथवा स्तर जिसमें वह नियुक्त किया जाता है, के प्रथम प्रस्तर पर केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के नियम 8 के अंतर्गत नियत किया जाता है। ऐसे मामले में वरिष्ठ सहायक अनुभाग अधिकारी (सीधी भर्ती) पदोन्नत कनिष्ठ सहायक अनुभाग अधिकारी (एएसओ) के समान वेतन समानता का दावा नहीं कर सकता है।

(छ) यदि किसी वरिष्ठ अधिकारी को उच्च पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया जाता है और वह अपने उस कनिष्ठ से कम वेतन पा रहा है जिसे तत्पश्चात् उसी संवर्ग में और उसी पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया है, तो वरिष्ठ अधिकारी उस कनिष्ठ अधिकारी के वेतन के संदर्भ में वेतन समानता का दावा नहीं कर सकता है क्योंकि उच्च पद पर तदर्थ स्थानापन्न सेवा प्रतिवर्ती है और मूल नियम 22 (I) (क) (1) के पूर्ण लाभ तदर्थ पदोन्नति के संबंध में नहीं दिए जाते हैं अपितु ये बिना किसी अंतराल (ब्रेक) के ऐसी तदर्थ पदोन्नति के बाद होने वाली स्थायी पदोन्नति होने पर ही दिए जाते हैं।

(ज) यदि किसी कनिष्ठ अधिकारी को उच्च योग्यताएं प्राप्त करने पर मिलने वाली अतिरिक्त वेतनवृद्धियों के कारण अधिक वेतन मिलता है।

टिप्पणी: उपर्युक्त उदाहरण/मामले केवल निदर्शी है और न कि परिपूर्ण।

4. ये आदेश, व्यय विभाग के दिनांक 2 फरवरी, 1966 के कार्यालय ज्ञापन एफ 2(78) ई-III(ए) 63 और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 4 नवंबर, 1993 के का.ज्ञा. 4/7/92-स्था (वेतन-I) के अधिक्रमण में जारी होंगे।

5. यह कार्यालय ज्ञापन दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी है।

6. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से परामर्श के पश्चात् जारी किए गए हैं।

7. इस कार्यालय ज्ञापन के हिंदी व अंग्रेजी रूप के किसी प्रावधान में विरोधाभास की परिस्थिति में अंग्रेजी रूप में वर्णित प्रावधान ही मान्य होंगे।

(राजीव बाहरी)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. एनआईसी, डीओपीटी को इस कार्यालय ज्ञापन को इस विभाग की वेबसाइट पर का.ज्ञा. एवं आदेश (स्थापना-वेतन नियम) के अंतर्गत और "नया क्या है" के भी अंतर्गत अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

प्रति प्रेषितः-

1. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय।
2. महासचिव, उच्चतम न्यायालय, सचिव, संघ लोक सेवा आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप-राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/नीति आयोग।
3. महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय।
4. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (अ.भा.से. प्रभाग)/जेसीए/प्रशासन अनुभाग।
5. सभी राज्यों के राज्यपाल/सभी संघ राज्य क्षेत्रों के उप-राज्यपाल
6. सचिव, जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष), 13सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
7. जेसीएम/विभागीय परिषद की राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य।
8. डीओपीटी के सभी अधिकारी/अनुभाग/प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग/पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग/लोक उद्यम चयन बोर्ड
9. संयुक्त सचिव (कार्मिक), वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग।
10. अपर सचिव (संघ राज्य क्षेत्र), गृह मंत्रालय।

(राजीव बाहरी)
अवर सचिव, भारत सरकार